दैनिक जागरण पटना, 2 जनवरी 2019

रेरा हेराफेरी करने वाले बिल्डरों की करेगा ग्रेडिंग

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार अब हेराफेरी करने वाले बिल्डरों की ग्रेडिंग करेगा। रेरा ने ग्रेडिंग के बाद सर्वाधिक भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वाले पांच बिल्डरों की सूची भी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्णय किया है।

अनोखी पहल के पीछे रेरा का उद्देश्य 'नेम एंड शेम' की तर्ज पर घपलेबाज बिल्डर और रियल इस्टेट कंपनियों के प्रति फ्लैट, प्लॉट, दुकान, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक संपत्ति खरीददारों को सावधान करना है। ऐसे पांच बिल्डरों में अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनीज, भूतनाथ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष इंफ्राकंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नेश इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रह्म इंजीनियर एंड डेवलपर्स है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने बताया कि पहले चरण में सबसे भ्रष्ट पांच बिल्डरों की सूची वेबसाइट पर हाईलाइट की गई है। आगे इसकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने और मनमानी करने वाले ऐसे में बिल्डरों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई करने की भी तैयारी है।

www.jagran.com

फ्लैट खरीदारों और बिल्डरों को मिल सकती है बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, पटना : सरकार अगर रेरा, बिहार के सुझाव पर अमल करती है तो फ्लैट खरीदारों के साथ बिल्डरों को बड़ी राहत मिलेगी। रेरा ने निबंधन को विभाग पत्र लिखकर बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली-2018 लागू होने के बाद रजिस्ट्री में लोगों को हो रही कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

दरअसल, बिहार बिल्डर एसोसिएशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआइआइ), कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अलावा जनता के आग्रह पर रेरा ने यह पहल की है। रेरा से लोगों को शिकायत है कि वैसे फ्लैटों की रजिस्ट्री जिसमें रेरा निबंधन संख्या अनिवार्य नहीं है, के मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री से पूर्व रेरा निबंधन संख्या की मांग की जा रही है। यही नहीं, पहली मई 2017 से पूर्व निर्मित भवनों व फ्लैट के

पहली मई 2017 से पूर्व बने अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए बिल्डर शपथपत्र देकर बगैर रेरा नंबर करा सकते हैं रजिस्ट्री

बिक्रीनामा/ किरायानामा/ बंधकनामा और हस्तांतरण से भी रोका जा रहा है। इसी तरह किसी कंपनी/फर्म/ बिल्डर्स और डेवलपरों द्वारा अपनी जमीन बिक्री की जाती है या बंधक रखी जाती है तो या किराए पर दी जाती है तो निबंधन कार्यालय द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के आड़ में अटकाया जा रहा है। ऐसे मामले में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य नहीं है। बिल्डर या डेवलपर ऐसे मामले में शपथ देकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसी तरह किसी भी जमीन के मालिक को उसकी अपनी जमीन की बिक्री, जिसकी प्लॉटिंग नहीं किया गया हो, उसके हस्तांतरण/लीज और बंधक रखने में रेरा नंबर अनिवार्य नहीं है।